भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024

क्रमांक 691/एमपीईआरसी/2024 विद्युत अधिनियम 2003, (2003 का 36) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद द्वारा , मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केंद्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण , विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 (2018 का जी-44) जिसे इसके बाद " मूल विनियम" कह कर सम्बोधित किया गया है, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात: -

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केंद्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 में द्वितीय संशोधन

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ-

1.1. इन विनियमों को "मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केंद्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण , विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 (द्वितीय संशोधन) (एजी -44 (ii) 2024)" कहा जाएगा।

1.2. ये विनियम मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

1.3. ये विनियम संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 2 में संशोधन।

2.1 मूल विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के उप-विनियम (फ) के बाद एक नया उप-खंड (फअ) अन्तरस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"सौर पवन हाइब्रिड उत्पादन परियोजना" से अभिप्रेत है एक परियोजना, जो ऊर्जा भंडारण के साथ या उसके बिना पवन और सौर ऊर्जा स्रोतों को मिलाकर बिजली उत्पन्न करती है, बशर्ते कि एक संसाधन (पवन या सौर) की रेटेड क्षमता, केस-टू-केस आधार पर, कुल अनुबंधित क्षमता का कम से कम 33% हो। "

2.2. मूल विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के उप-विनियम (घ) को निम्नलिखित उप-विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(घ) **"उपलब्ध क्षमता"** अथवा **"(एवीसी)"** से अभिप्रेत पवन या सौर जनरेटर के लिए, जो राज्य संस्थाएं हैं, पवन टरबाइन या सौर इनवर्टर की संचयी क्षमता रेटिंग से है जो एक निश्चित समय-ब्लॉक में बिजली पैदा करने में सक्षम हैं:

परन्तु यह कि सौर पवन हाइब्रिड उत्पादन परियोजना के मामले में, उपलब्ध क्षमता पवन टरबाइन और सौर इनवर्टर की संचयी क्षमता रेटिंग होगी जो एक समय-ब्लॉक में बिजली पैदा करने में सक्षम हैं लेकिन जिसकी मात्रा

उतने मेगावाट में से अधिक नहीं होगी जिसके लिए कनेक्टिविटी की अनुमति है दी गई है और उसी मात्रा के लिए BPTA निष्पादित किया गया है।"

2.3 मूल विनियमों के विनियम 2 के उप- विनियम (1) के उप- विनियम (झ) को विलोपित किया जाए।

2.4 मूल विनियम के विनियम 2 के उप- विनियम (1) के उप- विनियम (ण) को निम्नलिखित उप- विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(ण) **"आरई परियोजनाओं"** से अभिप्रेत है, सभी पवन उत्पादन परियोजनाएं, सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं और सौर पवन हाइब्रिड उत्पादन परियोजनाएं, भले ही उनकी कमीशनिंग की तारीखें कुछ भी हों और आरई परियोजनाओं का शब्द तदनुसार समझा जाएगा;"

2.5 मूल विनियम के विनियम 2 के उप- विनियम (1) के उप- विनियम (द) को निम्नलिखित उप- विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(द) **"पूलिंग स्टेशन"** से अभिप्रेत है, वह उप-स्टेशन है जहां अगले उच्च वोल्टेज स्तर के साथ इंटरफेसिंग के लिए व्यक्तिगत पवन जनरेटर या सौर जनरेटर या सौर पवन हाइब्रिड उत्पादन परियोजना के पवन / सौर जनरेटर की पूलिंग की जाती है:

परन्तु यह कि जहां पवन या सौर या सौर पवन हाइब्रिड जेनरेटर के लिए कोई अलग पूलिंग स्टेशन नहीं है और उत्पादन स्टेशन सामान्य फीडर के माध्यम से जुड़ा हुआ है और वितरण कंपनी/एसटीयू/सीटीयू के सब-स्टेशन पर समाप्त होता है, कंपनी/एसटीयू/सीटीयू के वितरण के सबस्टेशन को ऐसे पवन या सौर या सौर पवन हाइब्रिड जनरेटर के लिए पूलिंग स्टेशन माना जाएगा, जैसा भी मामला हो;

परन्तु यह और कि सौर पवन हाइब्रिड पावर परियोजना एक ही या अधिकतम 2 अलग-अलग स्थानों पर स्थित हो सकती है और सह-स्थित नहीं होने की स्थिति में, एक हाइब्रिड परियोजना को अलग-अलग स्थानों पर 2 बिंदुओं पर जोड़ा जावेगा । हालाँकि, ऐसे मामले में दोनों बिंदुओं पर ग्रिड से कनेक्शन केवल समर्पित फीडरों के माध्यम से होगा।"

3. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन।

मूल विनियम के विनियम 3 के उप- विनियम (2) को निम्नलिखित उप- विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(2) ये विनियम, अल्पकालिक खुली पहुंच या मध्यम अवधि की खुली पहुंच या दीर्घकालिक खुली पहुंच के माध्यम से अंतर-राज्य पारेषण या बिजली के वितरण (अंतर-राज्य व्हीलिंग सहित) में, जैसा भी मामला हो, 10 मेगावाट और उससे अधिक की संयुक्त स्थापित क्षमता वाले सभी पवन ऊर्जा जनरेटर के संबंध में, 5 मेगावाट और उससे अधिक की स्थापित क्षमता वाले सौर ऊर्जा जनरेटर और पवन और सौर ऊर्जा जनरेटर के हाइब्रिड के संबंध में 10 मेगावाट और उससे अधिक की स्थापित क्षमता के संबंध में जिसमें पूलिंग स्टेशनों के माध्यम से जुड़े और राज्य के भीतर बिजली बेचने की क्षमता शामिल है, सुगम लेनदेन में शामिल विक्रेता पर लागू होंगे:

परन्तु यह कि ये विनियम राज्य के बाहर खुली पहुंच के तहत और संयुक्त रूप से बिजली बेचने वाली सभी पवन, सौर और सौर पवन हाइब्रिड उत्पादन परियोजनाओं पर भी लागू होंगे।"

4. मूल विनियमों के अनुलग्नक -1 में संशोधन।

4.1 मूल विनियमों के अनुलग्नक -1 के विनियम 6 में संशोधन।

4.1.1 मूल विनियम के अनुलग्नक -1 के विनियम 6 के उप- विनियम (क) को निम्नलिखित उप- विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

" क. एसएलडीसी योग्य पवन, सौर और हाइब्रिड सौर और पवन पूलिंग स्टेशनों के विचलन शुल्क की गणना एसएलडीसी द्वारा जारी अनुसूचियों और संबंधित लाइसेंसधारी से या एएमआर सिस्टम के माध्यम से एसएलडीसी द्वारा प्राप्त एसईएम डेटा के आधार पर करेगा।

4.1.2 मूल विनियमों के अनुलग्नक -1 के विनियम 6 के उप- विनियम (ड़) के उप- विनियम (एक) को निम्नलिखित उप- विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

" **I.** अंतर-राज्यीय लेनदेन करने वाले पवन या सौर या सौर और पवन उत्पादन स्टेशनों का हाइब्रिड:"

4.1.3 मूल विनियमों के अनुलग्नक -1 के विनियम 6 के उप- विनियम (ड़) के उप- विनियम (एक) के उप- विनियम (ii) को निम्नलिखित उप- विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(ii) वास्तविक उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से कम होने की स्थिति में, उत्पादन में कमी के लिए विचलन शुल्क ऐसे पवन या सौर जनरेटर या सौर और पवन जनरेटर के हाइब्रिड, जो राज्य विचलन पूल खाते में राज्य इकाइयां हैं, द्वारा देय होगा, जैसा कि संचालन प्रक्रिया के अंत में संलग्न तालिका-आईए और आईआईए में दिया गया है।

4.1.4 मूल विनियमों के अनुलग्नक -1 के विनियम 6 के उप- विनियम (ड़) के उप- विनियम (रोमन एक) के उप- विनियम (iii) को निम्नलिखित उप- विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(iii) वास्तविक उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से अधिक होने की स्थिति में, अतिरिक्त उत्पादन के लिए विचलन शुल्क पवन या सौर जनरेटर या सौर और पवन जनरेटर के हाइब्रिड, जो राज्य विचलन पूल खाते से राज्य इकाइयां हैं, को देय होगा जैसा कि संचालन प्रक्रिया के अंत में संलग्न तालिका- 1 क और 2 क में दिया गया है।

4.1.5 मूल विनियमों के अनुलग्नक -1 के विनियम 6 के उप- विनियम (ड़) के उप- विनियम (एक) के उप- विनियम (iv) को निम्नलिखित उप- विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(iv) तालिका-आईए और आईबी और तालिका-आईआईए और आईआईबी के तहत संदर्भित निश्चित दर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के तहत आयोग द्वारा निर्धारित या विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के तहत आयोग द्वारा अपनाई गई पीपीए दर है। एकाधिक पीपीए के मामले में, पीपीए दरों का भारित औसत निश्चित दर के रूप में लिया जाएगा। पवन, सौर और हाइब्रिड सौर पवन जेनरेटर विचलन शुल्क खाता तैयार करने के उद्देश्य से एसएलडीसी को पीपीए की प्रति के साथ शपथ पत्र पर पीपीए दरें प्रस्तुत करेंगे।

4.1.6 मूल विनियमों के अनुलग्नक -1 के विनियम 6 के उप- विनियम (ड़) के उप- विनियम (रोमन एक) के उप- विनियम (v) को निम्नलिखित उप- विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(v) ओपन एक्सेस प्रतिभागियों के लिए निश्चित दर, जहां कोई पीपीए दर उपलब्ध नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर औसत बिजली खरीद लागत (एपीपीसी) दर होगी, जैसा कि केंद्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर अलग आदेश के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है।"

4.1.7 मूल विनियमों के अनुलग्नक -1 के विनियम 6 के उप- विनियम (ड़) के उप- विनियम (दो) के शीर्षक को निम्नलिखित शीर्षक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(II) इंट्रा-स्टेट लेनदेन करने वाले पवन या सौर या हाइब्रिड सौर पवन उत्पादन स्टेशन:"

4.1.8 मूल विनियमों के अनुलग्नक -1 के विनियम 6 के उप विनियम (ड़) के उप- विनियम (दो) के उप- विनियम (i) को निम्नलिखित उप- विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(i) पवन या सौर या हाइब्रिड सौर पवन उत्पादन स्टेशन जो इंट्रा स्टेट लेनदेन करने वाली राज्य संस्थाएं हैं, उन्हें वास्तविक उत्पादन के अनुसार भुगतान किया जाएगा।"

4.1.9 मूल विनियमों के अनुलग्नक -1 के विनियम 6 के उप विनियम (ड़) के उप- विनियम (रोमन दो) के उप- विनियम (ii) को निम्नलिखित उप- विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(ii) किसी उत्पादन स्टेशन या पूलिंग स्टेशन के वास्तविक उत्पादन की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित उत्पादन से कम या अधिक होने पर, कमी या अधिक उत्पादन के लिए विचलन शुल्क पवन या सौर या सौर और पवन जनरेटर का हाइब्रिड या क्यूसीए द्वारा, जैसा भी मामला हो, राज्य विचलन पूल खाते में देय होगा, जैसा कि इन परिचालन प्रक्रिया के अंत में संलग्न तालिका - III या तालिका-IV में दिया गया है।

4.1.10 मूल विनियमों के अनुलग्नक -1 के विनियम 6 के उप विनियम (ड़) के उप- विनियम (दो) के उप- विनियम (iv) को निम्नलिखित उप- विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(iv) सभी पवन या सौर या सौर और पवन जनरेटर के हाइब्रिड को राज्य विचलन पूल खाते के भीतर एक वर्चुअल पूल के रूप में माना जाएगा। इस वर्चुअल पूल के लिए और उसके भीतर विचलन को पहले पवन और सौर और सौर तथा पवन जनरेटर के हाइब्रिड के लिए ऊपर निर्धारित दरों और पद्धति पर तय किया जा सकता है।

4.2 मूल विनियमों के अनुलग्नक -1 के विनियम 8 में संशोधन।

4.2.1 अनुबंध-I के विनियम 8 के उप- विनियम (iii) से पहले एक नया उप- विनियम (iii) (क) जोड़ा जाए, अर्थात्:

"(iii) (क) सौर पवन हाइब्रिड उत्पादन परियोजनाओं के लिए - सौर और पवन उत्पादन स्टेशनों की संयुक्त स्थापित क्षमता या मेगावाट में मात्रा जिसके लिए कनेक्टिविटी की अनुमति दी गई है, जो भी कम हो, के लिए 25,000/- रुपये प्रति मेगावाट ।

4.2.2 मूल विनियम के अनुलग्नक -1 के विनियम 8 के उप- विनियम (iii) को निम्नलिखित उप- विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(iii) प्रस्तुत बीजी 3 साल की अवधि के लिए वैध होगी और किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी की जाएगी और समय-समय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाएगी। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान डीएसएम शुल्क की वास्तविक स्थितिओं के आधार पर भुगतान सुरक्षा की समीक्षा हर साल मई के अंत तक एसएलडीसी द्वारा की जाएगी।

4.3 मूल विनियम के विनियम 6 में संशोधन।

4.3.1 मूल विनियमों के विनियम 6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए, अर्थात्:

"प्रक्रिया की तीसरी पंक्ति में वर्ष "2005" के लिए, वर्ष "2021" प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

4.4 मूल विनियमों के विनियम 10 के बाद निम्नलिखित नए विनियम जोड़े जाएं, अर्थात्:

10(क) "नवीकरणीय ऊर्जा डीएसएम पूल खाते में संचित धन के उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया"।

"अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, आयोग, समय-समय पर, नवीकरणीय ऊर्जा डीएसएम पूल खाते में संचित धन के उपयोग के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आदेश और अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है।"

10(ख) "मध्य प्रदेश राज्य में सौर पवन हाइब्रिड उत्पादन परियोजनाओं के पूर्वानुमान, शेड्यूलिंग और विचलन शुल्क की गणना के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया"।

"अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, राज्य लोड डिस्पैच सेंटर मध्य प्रदेश में सौर पवन हाइब्रिड उत्पादन परियोजनाओं के पूर्वानुमान, शेड्यूलिंग और विचलन शुल्क की गणना के लिए पालन की जाने वाली एक विस्तृत प्रक्रिया इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से 2 महीने की अवधि में तैयार करेगा और इसे आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। ।

परन्तु यह कि जब तक प्रक्रिया आयोग द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं हो जाती, तब तक विचलन शुल्क की गणना एसएलडीसी द्वारा पूलिंग स्टेशनों, जो ग्रिड के साथ एक बिंदु पर नहीं जुड़े हैं लेकिन 2 अलग-अलग बिंदुओं पर अलग-अलग जुड़े हुए हैं, के समग्र शेड्यूल और मीटर डेटा पर विचार करते हुए की जाएगी ।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पांडा, आयोग सचिव.

टीप : इस विनियम के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

तालिका - 1 क: अंतर-राज्य लेनदेन करने वाली राज्य संस्थाओं के रूप में सौर उत्पादन स्टेशनों या सौर-पवन उत्पादन स्टेशनों के हाइब्रिड द्वारा कम इंजेक्शन के मामले में विचलन शुल्क।		
क्रमांक	15 मिनट के समय खंड में पूर्ण त्रुटि।	राज्य विचलन पूल खाते में देय विचलन शुल्क
1.	<= 10%	10% तक पूर्ण त्रुटि के लिए कमी ऊर्जा के लिए निश्चित दर पर।
2.	>10% लेकिन <=15%	(10% तक पूर्ण त्रुटि के लिए कमी ऊर्जा के लिए निश्चित दर पर) + (10% से अधिक और 15% तक शेष ऊर्जा के लिए निर्धारित दर का 110%)
3.	>15%	(10% तक पूर्ण त्रुटि के लिए कमी ऊर्जा के लिए निश्चित दर पर) + (10% से अधिक और 15% तक शेष ऊर्जा के लिए निश्चित दर का 110%) + (शेष 15% से अधिक ऊर्जा के लिए निर्धारित दर का 150%) ।

तालिका- 1 ख: अंतर-राज्य लेनदेन करने वाली राज्य संस्थाओं के रूप में सौर उत्पादन स्टेशनों या सौर-पवन उत्पादन स्टेशनों के हाइब्रिड द्वारा अधिक इंजेक्शन के मामले में विचलन शुल्क।		
क्रमांक	15 मिनट के समय खंड में पूर्ण त्रुटि।	राज्य विचलन पूल खाते से प्राप्य विचलन शुल्क
1.	<= 10% 10% तक	अतिरिक्त ऊर्जा के लिए निश्चित दर पर।
2.	>10% लेकिन <=15%	(10% तक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए निश्चित दर पर) + (10% से अधिक और 15% तक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए निश्चित दर का 90%)
3.	>15%	(10% तक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए निश्चित दर पर) + (10% से अधिक और 15% तक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए निश्चित दर का 90%) + 15% से अधिक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए शून्य

तालिका - 2 क: अंतर-राज्य लेनदेन करने वाली राज्य संस्थाओं के रूप में पवन उत्पादन स्टेशनों द्वारा कम इंजेक्शन के मामले में विचलन शुल्क।		
क्रमांक	15 मिनट के समय खंड में पूर्ण त्रुटि।	राज्य विचलन पूल खाते में देय विचलन शुल्क
1.	<= 15%	15% तक पूर्ण त्रुटि के लिए कमी ऊर्जा के लिए निश्चित दर पर।
2.	>15% लेकिन <=20%	(15% तक पूर्ण त्रुटि के लिए कमी ऊर्जा के लिए निश्चित दर पर) + (15% से अधिक और 20% तक शेष ऊर्जा के लिए निश्चित दर का 110%
3.	>20%	(15% तक पूर्ण त्रुटि के लिए कमी ऊर्जा के लिए निश्चित दर पर) + (15% से अधिक और 20% तक शेष ऊर्जा के लिए निश्चित दर का 110%) + (शेष 20% से अधिक ऊर्जा के लिए निर्धारित दर का 150%)

तालिका - 2 ख: अंतर-राज्य लेनदेन करने वाली राज्य संस्थाओं के रूप में पवन उत्पादन स्टेशनों द्वारा अधिक इंजेक्शन के मामले में विचलन शुल्क।		
क्रमांक	15 मिनट के समय खंड में पूर्ण त्रुटि।	राज्य विचलन पूल खाते से प्राप्य विचलन शुल्क
1.	<= 15%	अतिरिक्त ऊर्जा के लिए निश्चित दर पर 15% तक।
2.	>15% लेकिन <=20%	(15% तक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए निश्चित दर पर) + (15% से अधिक और 20% तक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए निश्चित दर का 90%)
3.	>20%	(15% तक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए निश्चित दर पर) + (15% से अधिक और 20% तक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए निश्चित दर का 90%) + 20% से अधिक अतिरिक्त ऊर्जा के लिए शून्य

तालिका -3 : राज्य के भीतर बिजली की बिक्री के लिए सोलर जेनरेटिंग स्टेशनों या हाइब्रिड सोलर-पवन जेनरेटिंग स्टेशनों द्वारा कम इंजेक्शन या अधिक इंजेक्शन के मामले में विचलन शुल्क।		
क्रमांक	15 मिनट के समय खंड में पूर्ण त्रुटि।	राज्य विचलन पूल खाते में देय विचलन शुल्क
1.	<=10%	कोई नहीं
2.	> 10% लेकिन <=15%	(10% से अधिक और 15% तक पूर्ण त्रुटि के लिए ऊर्जा की कमी या अधिकता के लिए 0.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से)
3.	>15% लेकिन <=20%	(10% से अधिक और 15% तक पूर्ण त्रुटि के लिए ऊर्जा की कमी या अधिकता के लिए 0.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से) + (15% से अधिक और 20% तक शेष ऊर्जा के लिए 0.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से)
4.	>20%	(10% से अधिक और 15% तक पूर्ण त्रुटि के लिए ऊर्जा की कमी या अधिकता के लिए 0.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से) + (15% से अधिक और 20% तक शेष ऊर्जा के लिए 0.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से)) +(20% से अधिक शेष ऊर्जा के लिए 1.00 रुपये प्रति यूनिट की दर से)

तालिका -4 : राज्य के भीतर बिजली की बिक्री के लिए पवन उत्पादन स्टेशनों द्वारा कम इंजेक्शन या अधिक इंजेक्शन के मामले में विचलन शुल्क।		
क्रमांक	15 मिनट के समय खंड में पूर्ण त्रुटि।	राज्य विचलन पूल खाते में देय विचलन शुल्क
1.	<= 15%	कोई नहीं
2.	>15% लेकिन <=20%	(15% से अधिक और 20% तक पूर्ण त्रुटि के लिए ऊर्जा की कमी या अधिकता के लिए 0.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से)
3.	>20% लेकिन <=25%	(15% से अधिक और 20% तक पूर्ण त्रुटि के लिए ऊर्जा की कमी या अधिकता के लिए 0.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से) + (20% से अधिक और 25% तक शेष ऊर्जा के लिए 0.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से)
4.	>25%	(15% से अधिक और 25% तक पूर्ण त्रुटि के लिए कमी या अधिक ऊर्जा के लिए 0.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से) + (20% से अधिक और 25% तक की पूर्ण त्रुटि के लिए 0.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से)+ (25% से अधिक शेष ऊर्जा के लिए 1.00 रुपये प्रति यूनिट की दर